रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1854] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2010/भाद्र 18, 1932

No. 1854] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2010/BHADRA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2010

का.आ. 2200(अ).—केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3)(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 13 जुलाई, 2010 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1655(अ) के द्वारा मै. मास्टर वोस इनटरनेशनल परोजेक्ट्स प्रा. लि., मुम्बई, के छह ट्रेलरों के लिए प्रति धुरी भार, सकल वाहन भार एवं माप में छूट प्रदान की थी । इस अधिसूचना के हिन्दी रूपांतरण में चैसिस संख्या 17090 की बजाय 17790 पढ़ा जाये ।

[फा. सं. 11042/56/2010-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th September, 2010

S.O. 2200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-section (3)(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government *vide* Gazette Notification No. S.O. 1655(E) dated 13th July, 2010 had allowed relaxation in per axle load, GVW and dimension in respect of six trailers of M/s. Master Voss International Projects Pvt. Ltd., Mumbai. In Schedule of the Hindi version of this notification the chassis No. 17090 may be read as 17790.

[F. No.RT-11042/56/10-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

3540 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.